संख्या– 501 /III(2)/21-38(एम.एल.ए.)2017TC-II

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

धन सिंह कुटियाल
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक ~~फरवरी~~ 09 मार्च 2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में विभिन्न 10 निर्माण कार्यो के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा सलंग्न विवरणानुसार विषयगत कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 10 आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 31.00 + 03 सेतु एवं लागत रू0 **398.22 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 398.22 लाख (रूपये तीन करोड़ अठानब्बे लाख बाईस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु रू0 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात 10 कार्यो हेतु रू0 1.00 लाख (रूप्ये एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(ii) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॅक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.बी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या–22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–961 /XXVII(2)/2020 दिनांक 03 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या– /III(2)/21-38(एम.एल.ए.)/2017TC-II तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ / श्रीनगर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्र0सं0:- 221 /20यात(नि0)/2 दि:-15-3-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
1. क्षे0 मु0 अभि0, लो0 नि0 वि0, पौड़ी।
2. अधी0 अभि0 12वॉं वृत्त, लो0 नि0 वि0 पौड़ी,
3. अधि0 अभि0 नि0 ख0, लो0 नि0 वि0, पाबौ/श्रीनगर,
4. अधि0 अभि0 आई0टी0 सेल प्रमुख अभि0 एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. कनि0 अभि0 ~~[illegible]~~ प्रा0 वार्ता/[illegible] अभि0 एवं

15/3/21

शासनादेश संख्या–501 /III(2)/21-38(एम.एल.ए.)2017TC-II दिनांक 09 मार्च, 2020 का सलंग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत बुघाणी–देवलगढ़–चमधार मोटर मार्ग के मरोड़ा नामें तोक से लंगू देवलगढ़ अम्बेडकर गौड चौंखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	6.00	63.82	0.10
2.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत ग्वाड भंगराणा दलीयो यात्री शैड से अनुसूचित जाति बस्ती पंचमनगर से खिर्सू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	2.00	41.79	0.10
3.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत लालमाटी जोगड़ी मोटर मार्ग का चमोल कट्टाखोली मोटर मार्ग तक विस्तार कार्य। **(प्रथम चरण)**	2.00	21.27	0.10
4.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत खण्डाह–कोटी–नेसू–दुर्गाकोट मोटर मार्ग से जामणाखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	3.50	70.11	0.10
5.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत कोटी से कठूड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	2.50	38..34	0.10
6.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत भटोली–नाईखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से विट्टाखोली होते हुए ग्राम कोल्टा के समीप पौड़ी–खिर्सू–श्रीनगर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	7.50	79.77	0.10
7.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुए तरूली(अमधार) मोटर मार्ग का 01 कि0मी0 विस्तारीकरण हेतु नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	1.00 + 14 mtr. Span	14.00	0.10
8.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत ग्राम गैरू सम्पर्क मार्ग का विस्तार 24 मीटर स्पान सेतु सहित निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	1.00 + 24 mtr. Span	21.71	0.10
9.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत चौखाल–उफरैंखाल मोटर मार्ग के खेतोली गदेरे से खेतोली गावं हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	1.500	9.42	0.10
10.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत ग्राम सैंजी–कुरगड़खाल से ग्वालखड़ा हेतु मोटर मार्ग एवं 30 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	4.00 + 30 mtr. Span	37.99	0.10
	योगः–	**31.00 + 03 Brdg.**	**398.22**	**1.00**

(कुल रूपये एक लाख मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -501/III(2)/21-38(MLA)17TCII
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21030220005
आवंटन पत्र दिनांक-09-MAR-2021

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	3140000	100000	0	3240000
योग	3140000	100000	0	3240000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER